



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
8 अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2020/ 5978

भोपाल, दिनांक 18/09/2020

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. समस्त सिविल सह अस्पताल अधिकारी
3. समस्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी-1
4. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी।

विषय: शासकीय प्रसव संस्थाओं में कार्यरत कुक एवं हेल्पर के मानदेय के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासकीय प्रसव संस्थाओं में उपचार हेतु भर्ती गर्भवती महिलाओं, प्रसव हेतु भर्ती महिलाओं, संस्था में क्रियाशील एस.एन.सी.यू में भर्ती नवजात तथा एन. आर.सी. में भर्ती बच्चों की माताओं को भोजन प्रदाय किया जाता है, इस हेतु संस्थाओं में कुक एवं हेल्पर का प्रावधान किया गया है।

कुक को अर्धकुशल श्रेणी के अतर्गत तथा हेल्पर को अकुशल श्रेणी अतर्गत कलेक्टर दर से मानदेय प्रदाय किया जाना है। वर्ष 2020-21 हेतु बजट का प्रावधान ई वित्त प्रवाह के एफएमआर कोड 8.1.16.7 (Support staff for health facilities on outsourcing basis) में किया गया है। जिला अस्पताल हेतु सिविल सर्जन सह अस्पताल अधिकांक तथा 31 जिलों द्वारा उप जिला स्तर की संस्थाओं के कुल एवं हेल्पर की जानकारी प्रदान की है अतः बजट उन्ही जिलों के विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी को आवंटित किया गया है। संस्थाओं पर कुक एवं हेल्पर का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है।

District Hospital			Sub district Hospital (CH,CHC,PHC,SHC)		
No of Beds	Provision Cook (Semi Skilled)	provision Helper (unskilled)	No of Deliveries/Month	Provision Cook (Semi Skilled)	provision Helper (unskilled)
100	2	2	<30	On daily basis	
200	3	3	30-60	1	0
300	3	4	61-99	1	1
400	4	5	100-199	1	2
500	4	6	200-299	2	2
>500	4	7	>300	2	3

Note: cook and helper norms approved by PS Health

जिन संस्थाओं में सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा भोजन व्यवस्था की जा रही है उन संस्थाओं पर कुक एवं हेल्पर को मानदेय प्रदाय नहीं किया जाना है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार संस्थाओं में कुक एवं हेल्पर की उपलब्धता आर.टी.सी. के माध्यम से नियमानुसार सुनिश्चित की जायें।

प्रभारी मिशन संचालक
एन.एच.एम.मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2020/ 5979

भोपाल, दिनांक 18/09/2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. संचालक वित्त, एनएचएम मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
5. उपसंचालक अस्पताल प्रशासन संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ मध्यप्रदेश।
6. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मानव संसाधन एनएचएम मध्यप्रदेश।
7. उप संचालक मानव संसाधन, उप संचालक योजनाएनएचएम मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक एनएचएम मध्यप्रदेश।
9. समस्त विकास खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।

प्रभारी मिशन संचालक
एन.एच.एम.मध्यप्रदेश